उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-721/ग्यारह-2-24-9(42)/17-टी.सी.70-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(328)-2024

लखनऊ; दिनांकः 26 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौसठवां संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौसठवां संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह दिनांक 10 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।
नियम 8 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 8 में, उपनियम (4क) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह और कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति जिसने आधार संख्या के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प नहीं लिया है, से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, उपनियम (4) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन आवेदक का फोटोग्राफ लेने के पश्चात् किया जाएगा जहां आवेदक धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसा व्यष्टि है या ऐसे व्यष्टि हैं, जहां आवेदक व्यष्टि नहीं है, वहां इस उपनियम के प्रयोजन के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से एक केन्द्र पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ और आवेदन इस परंतुक के अधीन यथा अधिकथित सफल सत्यापन के पश्चात् ही पूर्ण समझा जाएगा।"

नियम 21 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में नियम 21 में,- (i) खंड (च) में शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् अक्षर, शब्द और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे ; (ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(छक) नियम 23 के उपनियम (1) के तीसरे या चौथे परंतुक के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या"।
नियम 21क का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में नियम 21क में उपनियम (2क) के खंड (क) में,- (i) शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे। (ii) शब्द, अक्षर और अंक "उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "या कर, अवधि, यदि कोई हो के प्ररूप जीएसटीआर-1क में" बढ़ा दिये जाएंगे।
नियम 28 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में नियम 28 में, तारीख 26 अक्तूबर, 2023 से,- (i) उपनियम (2) में,- (क) शब्द "जो संबद्ध व्यक्ति है" के पश्चात् शब्द "भारत में अवस्थित है" बढ़ा दिये जाएंगे ; (ख) शब्द "प्रस्तुत की गई ऐसी गारंटी की रकम" के पश्चात् शब्द "प्रतिवर्ष" बढ़ा दिये जाएंगे । (ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह कि जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र हैं वहां बीजक में घोषित मूल्य सेवाओं के उक्त प्रदाय का मूल्य समझा जाएगा ।"।
नियम 36 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में नियम 36 में, उपनियम(4) में, खंड (क) में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित," बढ़ा दिये जाएंगे।
नियम 37क का संशोधन	7.	उक्त नियमावली में, नियम 37क में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे।
नियम 39 का संशोधन	8.	उक्त नियमावली में, नियम 39 में, अधिसूचित की जानी वाली तारीख से,- (i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा,

		अर्थात्:- "(1) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित रीति में और शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा, अर्थात्:- (क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे इस नियमावली के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत किए जाएंगे ; (ख) वितरित प्रत्यय की रकम वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी; (ग) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता के कारण माने जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय केवल उस प्राप्तिकर्ता को वितरित किया जाएगा;" (घ) प्रत्यय के एक से अधिक प्राप्तिकर्ता के कारण माने जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय ऐसे प्राप्तिकर्ताओं में वितरित किया जाएगा जिनको ऐसी इनपुट सेवा माने जा सकने जाने योग्य है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी राज्य में आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त के आधार पर ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के कुल आवर्त का अनुपाती होगा जिसको ऐसी इनपुट सेवा माने जा सकने योग्य है और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रवर्तनीय हैं । (ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के कारण मानी जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय ऐसे प्राप्तिकर्ताओं में वितरित किया जाएगा और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी राज्य में आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त के आधार पर ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के कुल आवर्त का अनुपाती होगा और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रवर्तनीय हैं । (च) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय जिसे समस्त प्राप्तिकर्ताओं जिनको इनपुट कर प्रत्यय माने जा सकने योग्य हैं, में से किसी एक प्राप्तिकर्ता "आर 1" को चाहे वह

		रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, जिनके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं जो छूट प्रदाय करने में लगे हुए हैं या अन्यथा किसी कारण से रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, को खंड (घ) और खंड (ड.) के अनुसार ऐसा कर प्रत्यय जिसे वितरित किया जाना अपेक्षित है वह रकम "सी1" होगी जिसे निम्नलिखित सूत्र को लागू करके संगणित किया जाना है- $सी_1=(टी1/टी)Xसी$ जहां, "सी" वितरित की जाने वाली प्रत्यय की रकम है, "$टी_1$"सुसंगत अवधि के दौरान $आर_1$ व्यक्ति कावह आवर्त है, जो खंड (घ) और खंड (ड.) में विनिर्दिष्ट है, और "टी" सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे समस्त प्राप्तिकर्ताओं के आवर्त का योग है जिनको खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा माने जा सकने योग्य है ; (छ) इनपुट सेवा वितरक, खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन अपात्र या अन्यथा) की रकम या पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को पृथक रूप से वितरित करेगा ; (ज) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय को खंड (घ) और खंड (ड.) के उपबंधों अनुसार पृथकतः वितरित किया जाएगा ; (झ) एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरित किया जाएगा; (ञ) केन्द्रीय कर, और राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय निम्नलिखित होगी- (i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में क्रमशः केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरित किया

		जाएगा; (ii) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय एकीकृत कर के रूप में वितरित किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम के कुल योग के बराबर होगी जो खंड (घ) और खंड (ङ.) में यथा निर्दिष्ट ऐसे प्राप्तिकर्ता के लिए वितरण के लिए अर्हक है ; (ट) इनपुट सेवा वितरक नियम 54 के उपनियम (1) में यथा उपबंधित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा जो ऐसे बीजक में स्पष्टत: यह उपदर्शित करे कि यह इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए ही जारी किया गया है; (ठ) इनपुट सेवा वितरक नियम 54 के उपनियम (1) में यथा उपबंधित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट प्रत्यय की कटौती के लिए जारी करेगा यदि पहले से ही वितरित इनपुट कर प्रत्यय किसी कारण से कम हो जाता है; (ड) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की अतिरिक्त रकम रीति में और खंड (क) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन वितरित की जाएगी और किसी प्राप्तकर्ता से प्राप्त हुई मानी जा सकने वाली रकम को खंड (च) में उपबंधित रीति में संगणित किया जाएगा और ऐसा प्रत्यय उसी मास में वितरित किया जाएगा जिसमें नामे नोट प्ररूप जीएसटीआर-6 की विवरणी में सम्मिलित किया जाता है ; (ढ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को प्रत्यय नोट के जारी किए जाने के कारण कटौती किए जाने वाला अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय उसी अनुपात में प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को प्रभाजित किया जाएगा जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय खंड (च) के

		निबंधनानुसार वितरित किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम - (i) उस मास में वितरित की जाने वाली रकम से घटा दी जाएगी जिसमें प्रत्यय नोट प्ररूप जीएसटीआर-6 की विवरणी में सम्मिलित किया जाता है; या (ii) प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में वहां जोड़ी जाएगी जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम वितरण के अधीन प्रत्यय की रकम, जो समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, के आधार पर नकारात्मक है ।"; (ii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "(1क) ऐसी इनपुट सेवाओं, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के उद्ग्रहण के अध्यधीन, एक या अधिक सुभिन्न व्यक्तियों के कारण प्राप्त हो सकने वाली मानी जा सकती हैं, के संबंध में प्रत्यय के वितरण के लिए ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके पास इनपुट सेवा वितरक के रूप में पैन और राज्य कोड है, इनपुट सेवा वितरक को ऐसी सामान्य इनपुट सेवाओं के प्रत्यय को अंतरित करने के लिए नियम 54 के उपनियम (1क) के उपबंधों के अनुसार बीजक यथास्थिति प्रत्यय या नामे नोट जारी कर सकेगा और ऐसा प्रत्यय उपनियम (1) में यथा उपबंधित रीति में उक्त इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित किया जाएगा ।"; (iii) उपनियम (2) में शब्द और कोष्ठक "खंड (ञ)" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "खंड (ढ)" रख दिये जाएंगे; (iv) उपनियम (3) में शब्द और कोष्ठक "खंड (ज)" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "खंड (झ)" रख दिये जाएंगे; (v) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए,- (i) पद "सुसंगत अवधि" निम्नलिखित होगी- (क) यदि प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता उस वर्ष जिसमें प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व के वित्तीय वर्ष में अपने राज्य या संघ

		राज्यक्षेत्रों में आवर्त रखते हैं तो उक्त वित्तीय वर्ष; या (ख) यदि प्रत्यय के कुछ या समस्त प्राप्तिकर्ता उस वर्ष जिसमें प्रत्यय वितरित किया जाना है, से पूर्व के वित्तीय वर्ष में अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं रखते हैं तो उस अंतिम तिमाही जिसके लिए समस्त प्राप्तिकर्ताओं का ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, उस मास जिसके दौरान प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व ; (ii) पद "प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता" का तात्पर्य माल या सेवा या दोनों के प्रदायकर्ता से है जिसके पास वैसा ही पैन संख्या है जैसी कि इनपुट सेवा वितरक के पास पैन है; (iii) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और साथ ही अकराधेय माल के प्रदाय में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में पद "आवर्त" का तात्पर्य आवर्त के उस मूल्य से है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क और उक्त अनुसूची की सूची दो की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम से घटाकर आता है।'
नियम 40 का संशोधन	9.	उक्त नियमावली में, नियम 40 में, उपनियम (1) में, खंड (ड.) में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "और प्ररूप जीएसटीआर-1क में, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे ;
नियम 48 का संशोधन	10.	उक्त नियमावली में, नियम 48 में, उपनियम (3) में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "या प्ररूप जीएसटीआर-1क में, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे ;
नियम 59 का संशोधन	11.	उक्त नियमावली में, नियम 59 में,- (i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु यह कि उक्त व्यक्ति, किसी कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के पश्चात् किंतु उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3ख में विवरणी फाइल करने से पूर्व अपने विकल्प पर, या तो प्रत्यक्षतः या सुविधा केन्द्र के माध्यम से जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1क में माल या सेवाओं या दोनों से जावक प्रदायों के अतिरिक्त ब्यौरों का संशोधन कर सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा ।"; (ii) उप नियम 4 में, 01 अगस्त 2024 से प्रभावी, शब्द "ढ़ाई लाख रुपये"

		जहां कहीं वे आए हों, के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जाएंगे; (iii) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- "(4क) प्ररूप जीएसटीआर-1क में प्रस्तुत माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों के अतिरिक्त ब्यौरों या उनके ब्यौरों के संशोधनों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं- (क) निम्नलिखित के बीजक वार ब्यौरे- (i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यिक और अंतरा-राज्यिक प्रदाय; और (ii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए एक लाख रुपये से अधिक बीजक मूल्य वाले अंतरराज्यिक प्रदाय; (ख) निम्नलिखित के समेकित ब्यौरे,- (i) कर की प्रत्येक दर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्यीय प्रदाय; और (ii) कर की प्रत्येक दर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को एक लाख रुपये तक के बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अंतर-राज्यीय प्रदाय; (ग) पूर्व में जारी किए गए बीजकों के लिए मास के दौरान जारी किए गए विकलन और प्रत्यय नोट, यदि कोई हों ।";
नियम 60 का संशोधन	12.	उक्त नियमावली में नियम 60 में – (i) उपनियम (1) में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "या प्ररूप जीएसटीआर-1क" बढ़ा दिये जाएंगे; (ii) उपनियम (7) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा; अर्थात्:- "(iiक) पूर्व कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के तुरंत पश्चात् के दिन से लेकर वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच प्ररूप जीएसटीआर-1क में उसके पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्ति के विवरण में अतिरिक्त ब्यौरे या संशोधन;";
नियम 62 का संशोधन	13.	उक्त नियमावली में, नियम 62 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा; अर्थात्:- "परंतु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जून के

		तीसवे दिन तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।।";
नियम 78 का संशोधन	14.	उक्त नियमावली में, नियम 78 में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे;
नियम 88ख का संशोधन	15.	उक्त नियमावली में, नियम 88ख में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा; "परंतु यह कि जहां कोई रकम धारा 49 की उपधारा (1) के उपबधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उक्त विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा की गई हो, लेकिन नियत तारीख के पश्चात् उक्त विवरणी दाखिल करते समय कर के संदाय के लिए उक्त खाते से विकलित कर दी जाती है, उक्त रकम को ऐसे ब्याज की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा यदि उक्त रकम नियत तारीख से विवरणी दाखिल करने के समय उसके विकलन की तारीख तक उक्त खाते में पड़ी है।";
नियम 88ग का संशोधन	16.	उक्त नियमावली में, नियम 88ग में, उपनियम (1) में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे;
नियम 89 का संशोधन	17.	उक्त नियमावली में, नियम 89 में,-- (i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-- "(1ख) कोई भी व्यक्ति, निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में उर्ध्वपुनरीक्षण के कारण संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, और जिस पर ऐसे माल के निर्यात के समय संदत्त किए गए एकीकृत कर का प्रतिदायनियम 96 के उपबधों के अनुसार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, धारा 54 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (क) के अनुसार सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व, नियम 10ख के उपबधों के अधीन रहते हुए, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के ऐसी प्रतिदाय के

		लिए आवेदन दाखिल कर सकता है: परंतु यह कि प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन, उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 54 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (क) के अनुसार सुसंगत तारीख इस उप-नियम के लागू होने की तारीख से पहले थी, इस उप-नियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पहले दाखिल किया जा सकता है।"; (ii) उपनियम (2) में, खंड (खक) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-- "(खख) निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे बीजकों की प्रति, शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों की प्रति, प्राधिकृत व्यौहारी-I बैंक द्वारा जारी ऐसे शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों के संबंध में बैंक वसूली प्रमाण-पत्र या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख के साथ ऐसे बैंक वसूली प्रमाण-पत्र या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र की प्रति, नियम 96 के उप-नियम (3) के अधीन पहले से स्वीकृत किए गए प्रतिदाय का ब्यौरा, कीमतों में उर्ध्वपुनरीक्षण के पश्चात् जारी किए गए सुसंगत पूरक बीजकों या विकलन नोटों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे पूरक बीजकों या विकलन नोटों की प्रति, एकीकृत कर की अतिरिक्त रकम और उस संदत्त ब्याज के संदाय के सबूत के साथ एकीकृत कर की ऐसी अतिरिक्त रकम के संदाय का ब्यौरा, जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा जारी इस प्रभाव के प्रमाण-पत्र कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में इस तरह के उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण है के साथ निर्यात की कीमत में उर्ध्वपुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त उक्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण के संबंध में प्राधिकृत व्यौहारी-I बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख के साथ ऐसे विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र की प्रति, और निर्यातित माल की कीमत के पुनरीक्षण की आवश्यकता और

		उसके कीमत पुनरीक्षण को उपदर्शित करते हुए, यथा लागू, संविदा/अन्य दस्तावेज़ों की प्रति, ऐसे मामले में जहां प्रतिदाय निर्यात के पश्चात् ऐसे माल की कीमत में ऊर्ध्वपुनरीक्षण के कारण है; (खग) उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात के पश्चात् ऐसे माल की कीमत में ऊर्ध्व पुनरीक्षण के कारण होता है, बैंक वसूली प्रमाण-पत्र या प्राधिकृत व्यौहारी-I बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र के सुसंगत विवरण के साथ जारी किए गए पूरक बीजक/विकलन नोट/प्रत्यय नोट में घोषित पूर्ति के मूल्य का समाधान करते हुए, सुलह विवरण;";
नियम 95ख का बढ़ाया जाना	18.	उक्त नियमावली में, नियम 95 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "95ख. कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा प्राप्त माल की आवक पूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय: (1) नियम 95 में किसी बात के होते हुए भी, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन भंडार विभाग, जो कैंटीन भंडार विभाग की यूनिट संचालित कैंटीनों को या धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार कैंटीन भंडार विभाग के प्राधिकृत उपभोक्ताओं को ऐसे माल की पश्चात्वर्ती में पूर्ति के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त किए गए लागू केंद्रीय कर के पचास प्रतिशत की वापसी का दावा करने के लिए पात्र है, प्रत्येक तिमाही में एक बार सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10क में प्रतिदाय के लिए आवेदन करेगा । (2) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10क में दाखिल माल की आवक पूर्ति पर संदत्त किए गए कर की वापसी के लिए ऐसे आवेदन को नियम 89 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में दाखिल किए गए प्रतिदाय के आवेदन के समरूप तरीके से निपटाया जाएगा। (3) आवेदक द्वारा संदत्त किए गए कर का प्रतिदाय तभी उपलब्ध होगा जब- (क) माल की आवक पूर्ति एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त की गई थी और ऐसी पूर्ति का ब्यौरा उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपनी

		जावक पूर्ति के ब्यौरे में प्रस्तुत किया गया है और उक्त पूर्तिकर्ता ने संबंधित कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अपनीविवरणी प्रस्तुत की है; (ख) आवेदक का नाम तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या कर बीजक में उल्लिखित है; और (ग) कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा माल को कैंटीन स्टोर्स विभाग की यूनिट संचालित कैंटीनों या कैंटीन स्टोर्स विभाग के प्राधिकृत उपभोक्ताओं को पश्चात्वर्तीपूर्ति के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।"
नियम 96 का संशोधन	19.	उक्त नियमावली में, नियम 96 में, (i) उपनियम (1) में,- (क) खंड(ख) के परंतुक में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे; (ख) खंड (ग) के पश्चात् दीर्घ रेखा में निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "परंतु माल का निर्यातक, ऐसे माल के निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऊर्ध्वपुनरीक्षण के कारण संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए और जिस पर ऐसे माल के निर्यात के समय संदत्त किए गए एकीकृत कर की रकम पहले ही इस नियम के उप-नियम (3) के उपबधों के अनुसार प्रतिदाय कर दी गई है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन दाखिल कर सकता है, और ऐसे आवेदन को नियम 89 के उपबधों के अनुसार निपटाया जाएगा ।"; (ii) उपनियम (2) में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा

		संशोधित, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे;
नियम 96क का संशोधन	20.	उक्त नियमावली में, नियम 96क में , (1) उपनियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:-- "(ख) निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, एक वर्ष की समाप्ति के पन्द्रह दिन पश्चात्, या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 42 सन् 1999) के अधीन दी गई अवधि, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात अवधि का कोई विस्तार भी सम्मिलित है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, या आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की गई ऐसी अतिरिक्त अवधि, यदि जहां भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी गई हो, ऐसी सेवाओं का संदाय निर्यातक द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपए में प्राप्त नहीं किया जाता है।"; (ii) उपनियम (2) में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1 में अंतर्विष्ट" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1,प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो, में अंतर्विष्ट" बढ़ा दिये जाएंगे;
नियम 110 का संशोधन	21.	उक्त नियमावली में, नियम (110), के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:- "**110 अपील अधिकरण को अपील.-** (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण में, अपील प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाएगी और अपीलार्थी को तुरंत अनंतिम पावती जारी की जाएगी : परंतु यह कि अपील अधिकरण में अपील, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में हस्तकृत रूप से तभी दाखिल की जा सकेगी, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, उस आशय का एक विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करें, और ऐसे मामले में, अपीलार्थी को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी।

		(2) धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन अपील अधिकरण में प्रति-आपत्ति का ज्ञापन, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा: परंतु यह कि प्रति-आपत्ति का ज्ञापन प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में हस्तकृत रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, उस आशय का विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करे। (3) अपील और प्रति-आपत्तियों के ज्ञापन पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे। (4) जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम पावती, अपील संख्या दर्शाते हुए जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा: परंतु यह कि जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, वहां अपीलार्थी, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत या अपलोड करेगा और त्रुटियों, यदि कोई हों, के दूर किए जाने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा: परंतु यह और कि जहां आदेश की उक्त स्व-प्रमाणित प्रति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के पश्चात प्रस्तुत या अपलोड की जाती है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और ऐसी स्व-प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत या अपलोड करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा। स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील तभी दाखिल मानी जाएगी जब अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी कर दी

		जाए। (5) अपील दाखिल करने या अपील प्रत्यास्थापित करने के लिए फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या निवेश कर प्रत्यय या कर या निवेशकरप्रत्यय में अंतर या उस आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए एक हजार रुपए होगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जो अधिकतम पच्चीस हजार रुपए और न्यूनतम पांच हजार रुपए तक होगी: परंतु यह कि किसी आदेश के संबंध में अपील दाखिल करने के लिए फीस, जिसमें कर, ब्याज, जुर्माना, फीस या शास्ति की कोई मांग सम्मिलित नहीं है, पांच हजार रुपये होगी।"; (6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए अपील अधिकरण के समक्ष किए गए आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी।
नियम 111 का संशोधन	22.	उक्त नियमावली में, नियम 111, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-- "111 अपील अधिकरण को आवेदन.—(1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में, संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा और अपीलार्थी को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी: परंतु यह कि अपील प्राधिकारी को आवेदन, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में हस्तकृत रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, उस आशय का एक विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करे, और ऐसे मामले में, अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी; (2) धारा 112 की उपधारा (5) के अधीनअपीलअधिकरण को प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा: परंतु यह कि प्रति-आपत्ति का ज्ञापन प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में

		हस्तकृत रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, उस आशय का विशेष या सामान्य आदेश जारी करके अनुज्ञात करे। (3) अपील और प्रति आपत्तियों के ज्ञापन पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे। (4) जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने के संबंध में प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम पावती, अपील संख्या दर्शाते हुए जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा: परंतु यह कि जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, वहां अपीलार्थी, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत या अपलोड करेगा तथा त्रुटियों, यदि कोई हों, के दूर किए जाने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी तथा अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा: परंतु यह और कि जहां आदेश की उक्त स्व-प्रमाणित प्रति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत या अपलोड की जाती है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और ऐसी स्व-प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत या अपलोड करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा। स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील तभी दाखिल मानी जाएगी जब अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी कर दी जाए। स्पष्टीकरण 2.—नियम 110 और 111 के प्रयोजनों के लिए, 'रजिस्ट्रार' का तात्पर्य इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार से है

		और इसमें संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार सम्मिलित होंगे।";
नियम 113क का बढ़ाया जाना	23.	उक्त नियमावली में, नियम 113, के पश्चात निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-- "113क. अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील या आवेदन को वापस लेना :-प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में फाइल की गई किसी अपील या जीएसटी एपीएल-07 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी होने से पूर्व किसी भी समय आवेदक, यथास्थिति, उक्त अपील या आवेदन को वापस लेने के लिए जीएसटी एपीएल-05/07डब्ल्यू प्ररूप में आवेदन फाइल कर सकेगा : परंतु यह कि जब जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभिस्वीकृति जारी कर दी गई है तो, यथास्थिति, उक्त अपील या आवेदन को वापस लेना अपील अधिकरण के अनुमोदन के अध्यधीन होगा और अपील या आवेदन को वापस लेने के लिए ऐसे आवेदन का विनिश्चय, अपील अधिकरण द्वारा ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा : परंतु यह और कि ऐसी वापसी के अनुसरण में, यथास्थिति, अपीलार्थी द्वारा दाखिल की गयी कोई नई अपील या आवेदन, यथास्थिति धारा 112 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर दाखिल किया जायेगा।"
नियम 138 का संशोधन	24.	उक्त नियमावली में नियम 138 में, उपनियम (3) में, अधिसूचित किये जाने की तारीख से, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "परंतु उपनियम (1) के चौथे परंतुक के अर्थातंर्गत अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बीजक सृजित करना अपेक्षित है या सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बीजक सृजित करने की अपेक्षा का विकल्प लेने वाला अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईएनआर-03 में या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ब्यौरो प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट

		नामांकन संख्या सृजित की जाएगी और उक्त व्यक्ति को संसूचित की जाएगी ।";
नियम 142 का संशोधन	25.	उक्त नियमावली में, नियम 142 में :- (i) उपनियम (2) में शब्द, अक्षर और अंक "वह समुचित अधिकारी को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय के संबंध में सूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किये गये संदाय की अभिस्वीकृति, स्वीकृति प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में जारी करेगा" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "वह समुचित अधिकारी को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय के संबंध में सूचित करेगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 अभिस्वीकृति उपलब्ध कराई जाएगी" रख दिये जायेंगे। (ii) उपनियम (2क) में शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क" के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक "और उसके पश्चात् समुचित अधिकारी, यथास्थिति उक्त व्यक्ति द्वारा किये गये संदाय या प्रस्तुतियों या दोनों को स्वीकार करते हुए जीएसटीडीआरसी01क प्रपत्र के भाग (ग) में संसूचना जारी कर सकता है।" बढ़ा दिये जायेंगे; (iii) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- "(2ख) जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य संदेय रकम को उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त मांग के लिए सृजित नामे प्रविष्टि के विरुद्ध इलैक्ट्रानिकी दायित्व रजिस्टर में प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में उक्त रकम का प्रत्यय करने के स्थान पर उपनियम(2) के अधीन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में संसूचना द्वारा संदत्त किया गया हो तो उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में एक आवेदन कर सकेगा और इस प्रकार संदत्त और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से संसूचित रकम का उक्त मांग के लिए सृजित नामे प्रविष्टि के सामने प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में इलैक्ट्रानिकी दायित्व रजिस्टर में प्रत्यय किया जाएगा

		मानो उक्त संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से ऐसी संसूचना की तारीख को उक्त मांग के लिए संदाय किया गया था : परंतु यह कि जहां कोई आदेश प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में किसी रकम के संदाय के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए उपनियम (3) के अर्थांतर्गत प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में कोई आदेश जारी किया जाता है तो प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में कोई आवेदन उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त संदाय की बाबत फाइल नहीं किया जाता सकता है ।";
नियम 163 का संशोधन	26.	उक्त नियमावली में नियम 163 में उपनियम (1) में खंड (ग) में शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर" के पश्चात् शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथासंशोधित, यदि कोई हों", बढ़ा दिये जायेंगे।
प्ररूप जीएसटी ईएनआर-03 का बढ़ाया जाना	27.	उक्त नियमावली में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्- "प्ररूप जीएसटी ईएनआर-03 [नियम 138(3) देखें] नामांकन के लिए आवेदन [केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए] 1. राज्य का नाम 2. (क) पैन के अनुसार नाम (ख) ट्रेड नाम, यदि कोई हों (ग) पैन (घ) आधार, यदि लागू हो (वैकल्पिक) 3. नामांकन का प्रकार (i) माल का अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार (ii)माल का अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ता (iii) दोनों (i) और (ii) 4. संपर्क सूचना (ईमेल पते और मोबाइल नंबर का उपयोग अधिप्रमाणन के लिए किया जाएगा) ईमेल मोबाइल नंबर 5. सहमति मैं, आधार नंबर धारक<प्ररूप में उपलब्ध कराए गए आधार नंबर के

		आधार पर पहले से ही भरा हुआ>"माल और सेवाकर नेटवर्क" को यूआईडीएआई से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए मेरे ब्यौरे अभिप्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं । 6. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची 7. सत्यापन मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। स्थान: हस्ताक्षर तारीख: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम कार्यालय उपयोग के लिए: नामांकन संख्या तारीख-"; ";
प्ररूप जीएसटीआर-1क का बढ़ाया जाना	28.	उक्त नियमावली में, तारीख 01 अगस्त 2024 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटीआर-1 में,– (i) क्रम संख्या 5 में, शीर्ष में, अंक, अक्षर और शब्द "2.5 लाख रुपये" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "1 लाख रुपये" रख दिये जाएंगे ; (ii) क्रम संख्या 7 में, सारणी में, क्रम संख्या 7 ख में शीर्ष में, अंक, अक्षर और शब्द "2.5 लाख रुपये" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "1 लाख रुपये" रख दिये जाएंगे ; (iii) क्रम संख्या ख में सारणी विशिष्ट अनुदेशों में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के सामने, तीसरे स्तंभ में, अंक, अक्षर और शब्द "2.5 लाख रुपये" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "1 लाख रुपये" अंक और शब्द रख दिये जाएंगे।
प्ररूप जीएसटीआर-1क का बढ़ाया जाना	29.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-1 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "प्ररूप जीएसटीआर-1 [नियम 59(1) का परंतुक देखें]

वर्तमान कर अवधि के लिए माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति में संशोधन

[वित्तीय वर्ष]				
[कर अवधि]				

1.		जीएसटीआईएन	
2.	(क)	पंजीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो	
3.	(क)	एआरएन	<स्वतः>
	(ख)	एआरएन की तारीख	<स्वतः>

4. सारणी 6 के अधीन आने वाली पूर्तियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (इसके अंतर्गत यूआईएन धारक है) को की गई कराधेय जावक पूर्तियां

(सभी सारणियों के लिए रुपए में रकम)

जीएसटी आईएन/ यूआईएन	बीजक ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम				प्रदाय का स्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम)
	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4क. इससे भिन्न अन्य प्रदाय प्रतिवर्ती प्रभार को आकृष्ट करने वाली (टीसीएस को आकृष्ट करने वाली ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से किये गये प्रदाय सहित)										

4ख. प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर आकृष्ट करने वाले प्रदाय

5. जहां बीजक मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक है,अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक अंतरराज्यीय प्रदाय

प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र)	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम	
	संख्या	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8

5. जावक पूर्तियां (जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से किये गये प्रदाय दर वार सम्मिलित है)

6. ऐसी पूर्तियां जिनको शून्य दर प्रदान की गई है और समझे गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक ब्यौरे			मालभाड़ा बिल/ निर्यात का बिल		एकीकृत कर			केन्द्रीय कर			राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर
	संख्या	तारीख	मूल्य	संख्या	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

6क. निर्यात

6ख. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई आपूर्ति

6ग. समझे गए निर्यात

7. कराधेय पूर्तियां (सारणी 5 में सम्मिलित प्रदाय से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय नामे नोट्स और प्रत्यय नोट्स को छोड कर)

कर दर	कुलकराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
7क. अंतरराज्यीय पूर्तियां					
समेकित दरवार जावक पूर्तियां (जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से की गई टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित है)]					
7ख. अंतरराज्यीय प्रदाय जहां बीजक मूल्य रूपये में 1 लाख तक है, [दर वार] समेकित दर वार जावक प्रदाय [टीसीएस को आकर्षित करने वाले ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से निर्मित प्रदाय को सम्मिलित करके]					
प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)					

8. शून्य दर, छूट प्राप्त और गैर-जीएसटी प्रदाय

विवरण	शून्य दर प्रदाय	छूट प्राप्त (शून्य दर /गैर जीएसटी प्रदाय से भिन्न)	गैर-जीएसटी प्रदाय
1	2	3	4
8क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यीय प्रदाय			
8ख. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतः राज्यीय प्रदाय			

8ग. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यीय प्रदाय			
8घ. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतः राज्यीय प्रदाय			

9. सारणी 4, 5 और 6 में वर्तमान कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत की गई कराधेय जावक प्रदाय के संशोधन [जिसके अंतर्गत वर्तमान अवधि के दौरान जारी किए गए नामे और प्रत्यय नोट तथा उनके संशोधनों सहित]

मूल दस्तावेज के ब्यौरे			दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूल नामे या प्रत्यय टिप्पणों के ब्यौरे						दर	कराधेय मूल्य	रकम				
जीएसटीआईएन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज की तारीख	जीएसटीआईएन	दस्तावेज		शिपिंग बिल		मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान
				संख्या	तारीख	संख्या	तारीख								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9क. प्रस्तुत किए गए बीजक/शिपिंग बिल के ब्यौरों का संशोधन															
9ख. नाम नोट/प्रत्यय नोट [मूल]															
9ग. नामे नोट/प्रत्यय नोट [संशोधित]															

10. सारणी 7 में वर्तमान कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक प्रदाय का संशोधन

कर की दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ	उपकर

				राज्य कर	
1	2	3	4	5	6
कर अवधि, जिसके लिए ब्यौरों को पुनरीक्षित किया जा रहा है		वर्तमान कर अवधि को यहां पर स्वतः भरा जाना चाहिए)			
10क. अंतः राज्यीय प्रदाय [जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से टीसीएस आकृष्ट करने वाले प्रदाय सम्मिलित हैं] [दर वार]					
10ख. अंतरराज्यीय प्रदाय [जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से टीसीएस आकृष्ट करने वाले प्रदाय सम्मिलित है] [दर वार]					
प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)					

11. वर्तमान कर अवधि में प्राप्त अग्रिम/समायोजित अग्रिम का समेकित विवरण/प्रस्तुत सूचना के संशोधन

[(प्रतिदाय वाउचर, यदि कोई हों, को छोड़कर)]

दर	प्राप्त / समायोजित समग्र अग्रिम	प्रदाय का स्थान (राज्य /संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

I वर्तमान कर अवधि के लिए सूचना
11क. कर अवधि के लिए प्राप्त अग्रिम रकम, जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है (कर रकम को जावक कर देयता में जोड़ा जायेगा)
11क (1). अंतः राज्यीय प्रदाय (दर वार)

11क (2). अंतरराज्यीय प्रदाय (दर वार)

11ख. पूर्ववर्ती कर अवधियों में प्राप्त और इस कर अवधि में तालिका संख्या 4, 5, 6 और 7 में दर्शित प्रदाय के सापेक्ष समायोजित
11ख (1). अंतः राज्यीय प्रदाय (दर वार)

11ख (2). अंतरराज्यीय प्रदाय (दर वार)

II वर्तमान कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 में सारणी संख्या 11[1] में प्रस्तुत सूचना विवरण का संशोधन [पुनरीक्षित सूचना प्रस्तुत करें]

मास										क्रम सं..... में प्रस्तुत सूचना के संबंध में संशोधन (चयन करें)	11क (1)	11क (2)	11ख (1)	11ख (2)

12. जावक प्रदाय का एचएसएन वार सारांश

क्रम संख्या	एचएसएन	विवरण	यूक्यूसी	कुल मात्रा	कर की दर	कुल करा धेय मूल्य	रकम			
							एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. कर अवधि के दौरान जारी दस्तावेज

क्रम संख्या	दस्तावेज की प्रकृति	क्रम संख्या		कुल संख्या	रद्द किए गए	कुल जारी
		से	तक			
1	2	3	4	5	6	7
1	जावक प्रदाय के लिए बीजक					
2	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक प्रदाय के लिए बीजक					
3	पुनरीक्षित बीजक					
4	नामे वोट					
5	प्रत्यय नोट					
6	प्राप्त वाउचर					
7	संदाय वाउचर					
8	प्रतिदाय वाउचर					
9	जॉब वर्क के लिए डिलीवरी चालान					
10	अनुमोदन पर प्रदाय के लिए डिलीवरी चालान					
11	तरल गैस की दशा में डिलीवरी चालान					
12	प्रदाय के माध्यम से भिन्न मामलों में डिलीवरी चालान (क्रम संख्या 9 से क्रम संख्या 11 को छोड़कर)					

14. ई-कॉमर्स प्रचालकों के माध्यम से किए गए प्रदाय का विवरण, जिस पर ई-कॉमर्स प्रचालक अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं या धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं [प्रदायकर्ता को रिपोर्ट करना है]

प्रदाय की प्रकृति	ई-कॉमर्स प्रचालकों का जीएसटी आईएन	प्रदाय का शुद्ध मूल्य	कर रकम			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7
(क) प्रदाय, जिन पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 52 के *अधीन* कर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं						
(ख) प्रदाय, जिन पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 9(5) के *अधीन* कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं						

14क. ई-कॉमर्स प्रचालकों के माध्यम से किए गए प्रदाय के विवरण में संशोधन, जिस पर ई-कॉमर्स प्रचालक अधिनियम की धारा 52 के अधीन कर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं या धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान

करने के लिए उत्तरदायी हैं [प्रदायकर्ता को रिपोर्ट करना है]

प्रदाय की प्रकृति	मूल विवरण		संशोधित विवरण	प्रदाय का शुद्ध मूल्य	कर की रकम			
	मास / तिमाही	ई-कॉमर्स प्रचालक का जीएसटी आईएन	ई-कॉमर्स प्रचालक का जीएसटी आईएन		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) प्रदाय, जिन पर ई-कॉमर्स प्रचालक धारा 52 के *अधीन* कर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी हैं								
(ख) प्रदाय, जिन पर ई-कॉमर्स प्रचालक धारा								

9(5) के *अधीन* कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं												

15. ई-कॉमर्स प्रचालकों के माध्यम से किए गए प्रदाय का विवरण, जिस पर ई-कॉमर्स प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है [ई-कॉमर्स प्रचालक को रिपोर्ट करना है]

प्रदायकर्ता का प्रकार	प्राप्तिकर्ता का प्रकार	प्रदाय-कर्ता का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज की तारीख	दर	की गई प्रदायों का मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान
								एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
रजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अर											

	जिस्ट्रीकृत											
अरजिस्ट्रीकृत	रजिस्ट्रीकृत											
	अरजिस्ट्रीकृत											

15क (I). ई-कॉमर्स प्रचालकों के माध्यम से किए गए प्रदाय के विवरण में संशोधन, जिन पर ई-कॉमर्स प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है [रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए ई-कॉमर्स प्रचालक को रिपोर्ट करना है]

प्रदाय-कर्ता का प्रकार	मूल विवरण				संशोधित विवरण				दर	की गई प्रदायों का मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज की तारीख	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज संख्या	दस्तावेज की तारीख			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ रा	उपकर	

													ज्यक्षेत्र कर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रजिस्ट्रीकृत															
अरजिस्ट्रीकृत															

15क (II). ई-कॉमर्स प्रचालकों के माध्यम से किए गए प्रदाय के विवरण में संशोधन, जिन पर ई-कॉमर्स प्रचालक धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है [अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए, ई-कॉमर्स प्रचालक को रिपोर्ट करना है]

प्रदायकर्ता का प्रकार	मूल विवरण		संशोधित विवरण	दर		की गई प्रदायों का मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	कर अवधि	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन				एकीकृत	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर	

							क र				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
रजि स्ट्रीकृ त											
अरजि स्ट्रीकृ त											

जीएसटीआर-1क भरने के लिए अनुदेश :

यह वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्टिंग में छूटे हुए वर्तमान कर अवधि के किसी भी विवरण को जोड़ने या वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किसी भी विवरण को संशोधित करने के लिए प्रदान की गई एक अतिरिक्त सुविधा है (जिसमें तिमाही करदाताओं के लिए, तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए,आईएफएफमें घोषित किए गए विवरण, यदि कोई हों, भी सम्मिलित हैं) यह प्ररूप विलम्ब शुल्क के उद्ग्रहण के बिना एक वैकल्पिक प्ररूप है।

यह प्ररूप पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की नियत तारीख या प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की वास्तविक तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के पश्चात् उसी कर अवधि के संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-3ख फाइल करने तक उपलब्ध रहेगा। इसी तरह, तिमाही करदाताओं के लिए, प्ररूप जीएसटीआर-1क प्ररूप जीएसटीआर-1 (तिमाही) फाइल करने के बाद तिमाही रूप से या प्ररूप जीएसटीआर-1 (तिमाही) फाइल करने की नियत तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के पश्चात् उसी कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-3ख फाइल करने तक खोला जाएगा।

प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित विवरण प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित विवरण के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपलब्ध कराए जाएंगे। तिमाही रिटर्न फाइल करने का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के मामले में इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख (तिमाही) में प्ररूप

		जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत विवरण और एम1 मास और एम2 मास के आईएफएफ (यदि फाइल किया गया है) के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे दस्तावेज़ में संशोधन, जो प्राप्तिकर्ता के जीएसटीआईएन में परिवर्तन से संबंधित है, उसे जीएसटीआर-1क में अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जनित किए गए जीएसटीआर-2ख के अतिरिक्त, जीएसटीआर-2ख में संबंधित प्रदायकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1क में घोषित सभी प्रदाय भी सम्मिलित होंगे। तथापि, प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित या संशोधित प्रदाय अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उपलब्ध कराई जाएँगी। उदाहरण के लिए,-- (i) एक प्रदायकर्ता जनवरी 2023 के मास में दो बीजक आईएनवी1 और आईएनवी2 जारी करता है। फिर उसने 8 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1 में बीजक आईएनवी1 का विवरण प्रस्तुत किया। तथापि, वह एक चालान आईएनवी2 को छोड़ देता है और 15 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1कमें इसका विवरण प्रस्तुत करता है। इस मामले में, आईएनवी1 14 फरवरी 2023 को उपलब्ध कराए गए जनवरी मास के लिए प्राप्तकर्ता के प्ररूप जीएसटीआर-2खमें जाएगा। अग्रतर, आईएनवी2 14 मार्च 2023 को उपलब्ध कराए गए फरवरी मास के लिए प्राप्तकर्ता के प्ररूप जीएसटीआर-2खमें उपलब्ध कराया जाएगा। (ii) एक प्रदायकर्ता जनवरी 2023 के मास में दो बीजक आईएनवी3 और आईएनवी4 जारी करता है। फिर उसने 15 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर -1 में बीजक आईएनवी3 का विवरण प्रस्तुत किया। तथापि, उन्होंने 16 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1क में आईएनवी 4 घोषित किया। इस मामले में, आईएनवी 3 और आईएनवी 4 दोनों को प्राप्तकर्ता के फरवरी मास के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में 14 मार्च 2023 को उपलब्ध कराया जाएगा। 6. विनिर्दिष्ट सारणियों के लिए अनुदेश :-

		सारणी संख्या	अनुदेश
		4क, 4ख, 5, 6, 9ख (रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए)	• करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए बीजकों/दस्तावेजों के विवरणों से भिन्न अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।
		7	• करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए बीजकों/दस्तावेजों के विवरणों से भिन्न अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं। • यदि दरों के किसी भी संयोजन के साथ पीओएस को पहले ही प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित किया जा चुका है, तो सारणी 7 के माध्यम से एक नई दर नहीं जोड़ी जा सकती है और करदाता को इसके लिए सारणी 10 में संशोधन सुविधा का उपयोग करना होगा।
		8.	• करदाता शून्य दर, छूट-प्राप्त और गैर-जीएसटी प्रदायों के, वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए विवरणों से भिन्न विवरण घोषित कर सकते हैं।
		9क और 9ग	• तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, आईएफएफ में सारणी 4क, 4ख, 5, 6क, 6ख, 6ग और 9ख में, यदि कोई हो, और वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए मूल्यों में संशोधन।
		12	• प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए अतिरिक्त/संशोधन विवरण के अनुसार एचएसएन विवरण यहाँ घोषित किए जाएँगे। किसी भी निम्नगामी संशोधन की दशा में, अंतर भाग के लिए ऋण चिह्न के साथ प्रविष्टि की जा सकती है।
		11क(1) और 11क(2), 11ख(1) और	• करदाता प्ररूप जीएसटीआर-1 में वर्तमान कर अवधि के लिए पहले से घोषित प्राप्त या समायोजित अग्रिम रकम के विवरण के अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं। • यदि दर के किसी भी संयोजन के साथ कोई पीओएस पहले से ही प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित किया गया है,

		11ख(2)	तो इन सारणियों के माध्यम से एक नई दर नहीं जोड़ी जा सकती है और करदाता को, यथास्थिति, संशोधन सारणी 11 (II) का उपयोग करना होगा।
		14	• करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए ई-कॉमर्स प्रचालक के माध्यम से किए गए प्रदाय का अतिरिक्त ब्यौरा घोषित कर सकते हैं।
		15	• इको करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए प्रदायों (दर-वार) के पहले से ही घोषित ब्योरे के सिवाय, अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।
		10, 11(II), 14क, 15क(I), 15क(II)	• करदाता वर्तमान अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित ब्योरे में संशोधन कर सकते हैं।"।
प्ररूप जीएसटीआर-2क का संशोधन	30.	उक्त नियमावली के *प्ररूप जीएसटीआर-2क में,*— *(i)* कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "*(*जीएसटीआर*-1,* जीएसटीआर*-5,* जीएसटीआर*-6,* जीएसटीआर*-7,* जीएसटीआर*-8,* माल का आयात और एसईजेड इकाइयों/विकासकर्ताओं से प्राप्त माल के आयात से*)*", के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "*(*जीएसटीआर*-1,* *क,* जीएसटीआर*-5,* जीएसटीआर*-6,* जीएसटीआर*-7,* जीएसटीआर*-8,* एसईजेड इकाइयों/विकासकर्ताओं से प्राप्त माल का आयात और माल की आवक प्रदाय*)*" रख दिये जाएंगे ; (ii) *भाग क में,* – (क) अंक, अक्षर और शब्द "जीएसटीआर-1/5 की अवधि" *के स्थान पर, जहां वे आते हैं* अंक, अक्षर और शब्द "जीएसटीआर-1/1क/5 अवधि" *रख दिये जाएंगे* ; (ख) अंक, अक्षर और शब्द "जीएसटीआर-1/5 भरने की तारीख" *के स्थान पर, जहां वे आते हैं,* अंक, अक्षर और शब्द "जीएसटीआर-1/1क/5 भरने की तारीख" *रख दिये जाएंगे* ; (iii) शीर्षक अनुदेशों के अधीन, –	

(*क) पैरा 2 में*, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूपजीएसटीआर-1, 5, 6, 7 और 8" *के स्थान पर*, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क, 5, 6, 7 और 8" रख दिये *जाएंगे* ;

(ख) पैरा 4 की सारणी में, –

(क)क्रम संख्या 3 के समक्ष, दूसरे स्तंभ में,--

(I)क्रम संख्या (i) में, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5" *के स्थान पर*, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1, 1कऔर 5" रख दिये *जाएंगे* ;

(II)क्रम संख्या (iii) में, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1/5" *के स्थान पर*, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1/1क और 5" रख दिये *जाएंगे* ;

(III)क्रम संख्या (iv) में, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1" *के स्थान पर*, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1/1क" रख दिये *जाएंगे* ;

(ख)क्रम संख्या 4 के समक्ष, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या (i)में, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5" *के स्थान पर*, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5" रख दिये *जाएंगे* ;

(ग)क्रम संख्या 5 के समक्ष, दूसरे स्तंभ में,–

(I)क्रम संख्या (i) में, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5" *के स्थान पर*, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5" रख दिये *जाएंगे*;

(II)क्रम संख्या (v)में,-–

(1) अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1/5", *के स्थान पर*, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप

		जीएसटीआर-1/1क और 5" रख दिये *जाएंगे* ; (2) अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत किए जाने" *के स्थान पर,* अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1/1क प्रस्तुत किए जाने" रख दिये *जाएंगे* ; (घ) क्रम संख्या 6 के समक्ष, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या (i) में, अंक, अक्षर और शब्द "प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5" *के स्थान पर,* "प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5" *रख दिये जाएंगे ।*
प्ररूप जीएसटीआर-2ख का संशोधन	31.	उक्त नियमावली में, *प्ररूप जीएसटीआर-2ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात् :---* "प्ररूप जीएसटीआर-2ख [नियम 60(7) देखें] स्वतः प्रारूपित किया गया आईटीसी विवरण *(ई-कॉमर्स प्रदाय, जीएसटीआर-1 क, जीएसटीआर -5, जीएसटीआर-6 और आईसीईजीएटीई से प्राप्त आयात डेटा सहित प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ से)* वित्तीय वर्ष | मास | 1. जीएसटीआईएन | 2(क).रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का विधिक नाम | 2(ख).व्यापार नाम, यदि कोई हो | 2(ग). जनन की तारीख |

3. आईटीसी उपलब्ध सारांश

(समस्त सारणियों के लिए रकम ₹ में)

क्रम संख्या	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अधीन प्राप्त किया जा सकने वाला प्रत्यय							
भाग क	उपलब्ध आईटीसी - जीएसटीआर-3ख में सुसंगत शीर्षकों में प्रत्यय का दावा किया जा सकता है						
1	रिवर्स चार्ज के अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त समस्त अन्य आईटीसी प्रदाय	4(क)(5)					प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) के अधीन शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।
ब्यौरा	ख2ख - बीजक						

			ख2ख– विकलन टिप्पण							
			ईसीओ- दस्तावेज							
			ख2ख- बीजक (संशोधन)							
			ख2ख- विकलन टिप्पण (संशोधन)							
			ईसीओ- दस्तावेज (संशोधन)							
		2	आईएसडी से आवक पूर्ति	4(क)(4)						प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी4 (क)(4) के अधीन शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।

		ब्यौरा	आईएसडी–बीजक							
			आईएसडी-बीजक (संशोधन)							
		3	आवक प्रदाय पर प्रतिलोम प्रभार लागू होगा	3.1(घ) 4(क)(3)						कर भुगतान के लिए प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी3.1(घ) में इन प्रदाय को घोषित किया जाएगा। कर भुगतान पर प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी4क(3) के अधीन शुद्ध

									इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।
		ब्यौरा	ख2ख – बीजक						
			ख2ख - नामे नोट्स						
			ख2ख- बीजक (संशोधन)						
			ख2ख - नामे नोट्स (संशोधन)						
		4	माल का आयात	4(क)(1)					प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी4 (क)(1) के अधीन शुद्ध इनपुट कर

								प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकताहै।
		ब्यौरा	आईएम पीजी - विदेश से माल का आयात					
			आईएम पीजी (संशोधन)					
			आईएम जीएसईजेड - एसईजेड से माल का आयात					
			आईएम जीएसईजेड (संशोधन)					
		भाग ख	उपलब्ध आईटीसी – प्रत्यय नोट्स को जीएसटीआर-3ख में सुसंगत उपलब्ध शीर्षकों के समक्ष प्रत्यय नोट्स समायोजित किया जाना चाहिए					
		1	अन्य	4(क)				प्रत्यय नोट्स सुसंगत आईटीसी

										उपलब्ध सारणियों [सारणी 4क(3,4, 5)]के विरुद्ध समायोजित होंगे प्रत्यय नोट्स (प्रतिलोम प्रभार) के समक्ष दायित्व सारणी3. 1 (घ) में समायोजित होगी।
		ब्यौरा	ख2ख - प्रत्यय नोट्स	4(क)(5)						
			ख2ख - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(5)						
			ख2ख - प्रत्यय	3.1(घ) 4(क)(3)						

	नोट्स (रिवर्स चार्ज)						
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)	3.1(घ) 4(क)(3)					
	आईए सडी-प्रत्यय नोट्स	4(क)(4)					
	आईए सडी-प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(4)					

4. आईटीसी उपलब्ध न होने का संक्षिप्त विवरण

(सभी खण्डों में राशि ₹ में)

क्रम संख्या	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख-सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	परामर्श
क्रेडिट जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख के तहत नहीं लिया जा सकता							

		भाग क	आईटीसी उपलब्ध नहीं						
		1	अन्य सभी आईटीसी रिवर्स चार्ज से भिन्न अन्य आपूर्तियां जो कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हो।	4(घ)(2)					ऐसा क्रेडिट नहीं लिया जाएगा और उसेप्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी4(घ)(2) में रिपोर्ट करना होगा।
		ब्यौरा	ख2ख –बीजक						
			ख2ख - नामे नोट्स						
			ईसीओ – दस्तावेज़						
			ख2ख - बीजक (संशोधन)						
			ख2ख - नामे नोट्स (संशोधन)						
			ईसीओ - दस्तावेज़ (संशोधन)						
		2	आईएसडी से आवक पूर्ति	4(घ)(2)					ऐसा प्रत्यय नहीं लिया जाएगा और इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी4(घ)(2) में रिपोर्ट

									करना होगा।
		ब्यौरा	आईएसडी–बीजक						
			आईएसडी-बीजक(संशोधन)						
		3	आवक पूर्ति पर प्रतिलोम प्रभार दायी होगा	3.1(घ) 4(घ)(2)					इन पूर्तियों को कर भुगतान के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा।
		ब्यौरा	ख2ख – बीजक						
			ख2ख - नामे नोट्स						
			ख2ख - बीजक (संशोधन)						
			ख2ख - नामे नोट्स (संशोधन)						
		भाग ख आईटीसी उपलब्ध नहीं है – प्रत्यय नोट को जीएसटीआर-3ख में सुसंगत आईटीसी उपलब्ध शीर्षकों के समक्ष समायोजित किया जाना चाहिए							
		1	अन्य	4(क)					प्रत्यय नोट्स को सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों[सारणी 4क(3,4,5)]

								के समक्ष समायोजित किया जाना चाहिए।
ब्यौरा	ख2ख - प्रत्यय नोट्स	4(क)(5)						
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(5)						
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (प्रतिलोम प्रभार)	4(क)(3)						
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (प्रतिलोम प्रभार) (संशोधन)	4(क)(3)						
	आईएसडी-प्रत्यय नोट्स	4(क)(4)						
	आईएसडी-प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(4)						

5. आईटीसी उत्क्रमण सारांश (नियम 37क)

(सभी अनुभागों में रकम ₹ में)

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटी आर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार

		वह प्रत्यय जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अधीन वापस किया जा सकता है						
		भाग क	अन्य आईटीसी - रिवर्स					
		1	नियम 37क के कारण आईटीसी उत्क्रमण आईटीसी	4(ख)(2)				इस तरह के प्रत्यय को उलट दिया जाएगा और उसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी4(ख)(2) में रिपोर्ट करना होगा।
		ब्यौरा	ख2ख – बीजक					
			ख2ख- विकलन नोट्स					
			ख2ख - बीजक (संशोधन)					
			ख2ख - विकलन नोट्स (संशोधन)					

निर्देश:

उपयोग किए गए पद: -

आईटीसी - इनपुट कर प्रत्यय

ख2ख – कारबार से कारबार

आईएसडी– इनपुट सेवा वितरक

आईएमपीजी – माल का आयात

आईएमपीजीएसईजेड – एसईजेड से माल का आयात

ईसीओ – ई-कॉमर्स ऑपरेटर

(2) महत्वपूर्ण सलाह:

प्ररूप जीएसटीआर-2ख एक ऐसा विवरण है जो आपके प्रदायकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 1क, 5 और 6 में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यह एक स्थिर विवरण है और इसे महीने में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदायकर्ता द्वारा किसी भी प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 5 और 6 में फाइल किए गए दस्तावेज़ प्राप्तकर्ता के अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में दिखाई देंगे, भले ही प्रदायकर्ता द्वारा इसे फाइल करने की तारीख कुछ भी क्यों न हो। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यय प्राप्त करने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2ख देखें। तथापि, अतिरिक्त विवरण के मामले में, वे अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-2क (जिसे लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है) का संदर्भ ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित या संशोधित प्रदाय अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उपलब्ध कराई जाएगी।

निम्नलिखित परिदृश्यों में इनपुट कर प्रत्यय अनुपलब्ध बताया जायेगा: -

माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए बीजक या नामे नोट, जहां प्राप्तकर्ता सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं है।

बीजक या नामे नोट जहां प्रदायकर्ता (जीएसटीआईएन) और प्रदाय का स्थान एक ही राज्य में हैं जबकि प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में है।

तथापि, ऐसे अन्य परिदृश्य भी हो सकते हैं, जिनके लिए करदाताओं को इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं हो सकता है और सिस्टम द्वारा इसे उत्पन्न नहीं किया गया है। करदाताओं को अपने प्ररूप जीएसटीआर-3ख में ऐसे प्रत्यय का स्व-मूल्यांकन और उलटदेना चाहिए।

यह दृष्टव्य है कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में आपके संबंधित प्रदायकर्ता

		या ईसीओ द्वारा फाइल किए जा रहे समस्त जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 5 और 6 शामिल होंगे। सामान्य तौर पर, यह तारीख पिछले महीने (एम-1) के लिए जीएसटीआर-1 (मासिक/त्रैमासिक)/ आईएफएफ फाइल करने की तारीख से चालू महीने (एम) के लिए जीएसटीआर-1 (मासिक/त्रैमासिक)/आईएफएफ फाइल करने की तारीख के बीच होगा। उदाहरण के लिए, फरवरी महीने के लिए जीएसटीआर-2ख में प्रदायकर्ताओं द्वारा अपने जीएसटीआर-1 /आईएफएफ, 5 और 6 में 12 फरवरी को 00:00 बजे से 11 मार्च को 23:59 बजे तक फाइल किए गए समस्त दस्तावेज शामिल होंगे। यह दृष्टव्य है कि माल के आयात के लिए, डेटा को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जा रहा है, इसलिए, महीने में किए गए आयात (जिस महीने के लिए जीएसटीआर-2ख तैयार किया जा रहा है) उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन तारीखों के लिए सुसंगत डेटा निकाला गया है, वे ऑनलाइन पोर्टल पर "एडवाइजरी देखें" टैब के अधीन उपलब्ध हैं। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों/डेवलपर्स से आयात के आंकड़ों सहित आईसीईजीएटीई प्रणाली से माल के आयात की जानकारी भी शामिल है। यह दृष्टव्य है कि सेवाओं के आयात पर प्रतिलोम प्रभार प्रत्यय इस विवरण का भाग नहीं है और इसे करदाताओं द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) में दर्ज किया जाना जारी रहेगा। सारणी 3 में जीएसटीआर-2ख तैयार करने की तारीख तक उपलब्ध आईटीसी का सारांश दिया गया है। इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है: अ. भाग क में प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत सारणियों में प्राप्त किए जा सकने वाले प्रत्यय का सारांश दिया गया है। आ. भाग ख में प्रत्यय का सारांश सम्मिलित है, जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत सारणी से समायोजित किया जाएगा। सारणी 4 में जीएसटीआर-2ख तैयार करने की तारीख तक उपलब्ध न होने वाले आईटीसी का सारांश दिया गया है। इस सारणी में उपलब्ध प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यय के रूप में नहीं उपलब्ध किया जाएगा, किंतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(घ)(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। तथापि, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय

करने की देयता और प्रत्यय नोट्स की प्राप्ति पर समायोजित प्रत्यय की देयता ऐसी पूर्ति के लिए जारी रहती है।

सारणी 5 में नियम 37क के अधीन 30 नवंबर को या उससे पहले वापस किए जाने वाले आईटीसी का सारांश दर्शाया गया है, जिस वित्तीय वर्ष में ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में आईटीसी का उपभोग किया गया है और प्रदायकर्ता द्वारा तत्स्थानी प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सारणी में स्वचालित रूप से भरी गई प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यागम किया जाएगा, किंतु इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) में प्रत्यागम किए गए आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। सारणी 5 को अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर (अक्टूबर में उपलब्ध कराया जाएगा) के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में ही उपलब्ध कराया जाएगा ।

करदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न डेटा उनके अपने रिकॉर्ड और खाता बही से मेल खाता हो। करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि,-

किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज़ के लिए दो बार प्रत्यय नहीं लिया जाएगा।

जहां भी आवश्यक होगा, प्रत्यय प्रतिलोम कर दिया जाएगा।

प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय नकद में किया जाएगा।

बीजक, प्रत्यय नोट, नामे नोट, आईएसडी बीजक, आईएसडी प्रत्यय और नामे नोट, प्रविष्टियों का बिल आदि का विवरण भी ऑनलाइन और डाउनलोड सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जहां सरकार द्वारा लागू कर दर का प्रतिशत अधिसूचित किया जा सकता है। बीजक/दस्तावेजों के लिए एक अलग स्तंभ प्रदान किया जाएगा जहां ऐसी दर लागू होती है।

12. सारणी वार अनुदेश:

<u>सारणी संख्या एवं शीर्षक</u>	<u>अनुदेश</u>
<u>आईटीसी उपलब्ध सारांश</u>	
सारणी 3 भाग क खंड । प्रतिलोम प्रभार के अलावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त	इस खण्ड में उन प्रदाय (उनके अलावा जिन पर प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है) का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके प्रदायकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ,

		समस्त अन्य आईटीसी प्रदाय	जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 में घोषित और दाखिल किया गया है। यह सारणी केवल उन प्रदायों को प्रदर्शित करती है जिन पर इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है। ख 2ख-बीजक और ख 2ख-नामे नोट्स में संशोधन के कारण यदि कोई नकारात्मक प्रत्यय उत्पन्न होता है, तो उसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क(5) में समायोजित किया जाएगा।
		सारणी 3 भाग क खंड II आईएसडी से आवक प्रदाय	इस खण्ड में उन प्रदायों का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-6 में घोषित और दाखिल किया गया है। यह सारणी केवल उन प्रदायों को प्रदर्शित करती है जिन पर आईटीसी उपलब्ध है। आईएसडी संशोधन - बीजक में आईएसडी संशोधन के कारण नकारात्मक प्रत्यय, यदि कोई हो, उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क(4) में समायोजित किया जाएगा।
		सारणी 3 भाग क खंड III आवक आपूर्ति पर प्रतिलोम प्रभार लागू होगा	इस खण्ड में उन प्रदाय का विवरण सम्मिलित है जिन पर प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है, जिन्हें आपके प्रदायकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ और जीएसटीआर-1क में घोषित और फाईल किया गया है। इस सारणी में केवल वे प्रदाय दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध है। कर संदाय के लिए इन प्रदायों को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा। कर संदाय पर

			प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अधीन प्रत्यय का उपभोग किया जा सकता है। ख2ख - बीजक (प्रतिलोम प्रभार) और ख2ख-नामे नोट्स (प्रतिलोम प्रभार) में संशोधन के कारण नकारात्मक प्रत्यय, यदि कोई हो, उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) में समायोजित किया जाएगा।
		सारणी 3 भाग क खंड IV माल का आयात	यह खण्ड विदेशों से माल के आयात और एसईजेड इकाइयों/डेवलपर्स द्वारा प्रवेश पत्र और उसके संशोधन पर आपके द्वारा संदत्त आईजीएसटी का विवरण प्रदान करता है। ये विवरण आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई. प्रणाली से लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किए जाते हैं। इस सारणी में उस माह में आपके द्वारा किए गए आयात (जीएसटीआईएन) का डेटा सम्मिलित होगा जिसके लिए जीएसटीआर-2ख तैयार किया जा रहा है। आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई. संदर्भ तारीख वह तारीख है, जिससे प्राप्तकर्ता इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र होता है। सारणी में यह भी बताया जाता है कि क्या प्रवेश पत्र में संशोधन किया गया था। सारणियों में जानकारी आई.सी.ई.जी.ए.टी.ई. से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दी जाती है।
		सारणी 3 भाग ख खण्ड। अन्य	इस खण्ड में प्राप्त प्रत्यय नोटों और उनके संशोधन का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके प्रदायकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1क

				और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है। ये प्रत्यय नोट प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों [सारणी 4 क (3,4,5)] से समायोजित होंगे। प्रत्यय नोट्स (प्रतिलोम प्रभार) के प्रति देयता प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में समायोजित होगी।
		आईटीसी में सारांश उपलब्ध नहीं		
		सारणी 4 भाग क खंड । प्रतिलोम प्रभार के अलावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त समस्त अन्य आईटीसी प्रदाय		इस खण्ड में प्रदाय (उनके अतिरिक्त जिन पर प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है) का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके प्रदायकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है। इस सारणी में केवल वे प्रदाय दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा। तथापि, ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा ।
		सारणी 4 भाग क खंड II आईएसडी से आवक प्रदाय		इस खंड में उन प्रदाय का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-6 में घोषित और फाईल किया गया है। इस सारणी में केवल वे प्रदाय दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा। तथापि, ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में

				रिपोर्ट किया जाएगा।
			सारणी 4 भाग क खंड III प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय	इस खण्ड में प्रत्यागम प्रभार के लिए दायी प्रदाय का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके प्रदायकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ और जीएसटीआर-1क में घोषित और फाईल किया गया है। इस सारणी में केवल वे प्रदाय दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। इन प्रदाय को कर संदाय के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा। तथापि, ऐसी प्रदाय पर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीभार-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।
			सारणी 4 भाग ख खण्ड I अन्य	इस खण्ड में प्राप्त प्रत्यय नोट्स और उनके संशोधन का विवरण सम्मिलित है,जिन्हें आपके प्रदायकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1 क और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है। इस सारणी में केवल वे प्रत्यय नोट दिए गए हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है। ऐसे प्रत्यय नोट प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों [सारणी 4क(3,4,5)] से समायोजित होंगे।
			सारणी 5 भाग क खंड I नियम 37क के कारण आईटीसी प्रत्यायन	यह सारणी केवल सितम्बर माह के प्ररूप जीएसटीआर 2ख में उपलब्ध कराई जाएगी (अक्टूबर में उपलब्ध कराई जाएगी)। सारणी में नियम 37क के अनुसार पिछले वितीय वर्ष के बीजक या नामे नोट के संबंध में प्रत्यायन किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय का विवरण सम्मिलित होगा।

			इस सारणी में स्वचालित रूप से भरी गई प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उलट दिया जाएगा और इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) में रिपोर्ट किया जाएगा।"।

प्ररूप जीएसटीआर-3ख का संशोधन

32. उक्त नियमावली में, अधिसूचित किये जाने के दिनांक से, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में,-

क. सारणी 6.1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी;

विवरण	संदेय कर	पिछली कर अवधि की नकारात्मक देयता का समायोजन	शुद्ध संदेय कर (2-3)	आईटीसी के माध्यम से संदत्त कर				नकद में संदत्त कर	नकद में संदत्त ब्याज	नकद में संदत्त विलम्ब शुल्क
				एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(क)(i) प्रतिलोम प्रभार और (ii) धारा 9(5) के अधीन की गई प्रदाय के अतिरिक्त										
एकीकृत कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
केंद्रीय कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							

		<table><tr><td>उपकर</td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="11">(ख) धारा 9(5) के अधीन प्रतिलोम प्रभार और प्रदाय</td></tr><tr><td>एकीकृत कर</td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>केंद्रीय कर</td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर</td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>उपकर</td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td><ऑटो></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (ख) सारणी 6.2 का लोप कर दिया जाएगा ।
प्ररूप जीएसटीआर-4 का संशोधन	33.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेशों में, क्रम संख्या 2 पर, शब्द "ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति" के पश्चात, शब्द और अक्षर "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए" रख दिए जाएंगे । अग्रतर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में ब्यौरा, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात जून की तीसवीं तारीख तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।";
प्ररूप जीएसटीआर-4क का संशोधन	34.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-4क में, कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वप्रारूपित)" के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1 क, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वप्रारूपित)" रख दिए जाएंगे।
प्ररूप जीएसटीआर-5 का संशोधन	35.	उक्त नियमावली में, 01 अगस्त 2024 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटीआर-5 में,- (एक) क्रम संख्या 6 में, शीर्षक में, अंक, अक्षर और शब्द "2.5 लाख रुपए" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "1 लाख रुपए" रख दिए जाएंगे; (दो) क्रम संख्या 7 में, सारणी में, खंड (7ख) में, शीर्षक में, अंक, अक्षर और शब्द "2.5 लाख रुपए" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "1 लाख रुपए" रख दिए जाएंगे; (तीन) अनुदेश शीर्षक के अधीन,- (क) क्रम संख्या 7 में, खंड (दो) में, अंक और अक्षर "2,50,000 रुपए" के स्थान पर, अंक और अक्षर "1,00,000

		रुपए" रख दिए जाएंगे। (ख) क्रम संख्या 8 में , खंड (दो) में, अंक, अक्षर और शब्द "2.5 लाख रुपए" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "1 लाख रुपए" रख दिए जाएंगे। (ग) क्रम संख्या 9 में, अंक, अक्षर और शब्द "रु. 250000/-" के स्थान पर अंक और अक्षर "रु. 100000/-" रख दिए जाएंगे।
प्ररूप जीएसटीआर-6क का संशोधन	36.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-6क में, कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वतः प्रारूपित)" के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "(जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-1क, जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-7 से स्वतः प्रारूपित)" रख दिए जाएंगे;
प्ररूप जीएसटीआर-7 का संशोधन	37.	उक्त नियमावली में, अधिसूचित किये जाने के दिनांक से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में ,- (एक) सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात्:- "

जिसकी कटौती की गयी है, का जीएसटीआईएन	बीजक/दस्तावेज़ विवरण			टीडीएस के लिए दायी जिसकी कटौती की गयी है, को संदत्त रकम	स्रोत पर कटौती की गई कर की रकम		
	संख्या	दिनांक	मूल्य		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8

(दो) सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"

आरम्भिक विवरण	पुनरीक्षित विवरण

मास	जिसकी कटौती की गयी है का जीएस टीआईएन	बीजक /दस्तावेज़ विवरण			टीडीएस के लिए दायी जिस की कटौती की गयी है को संदत्त रकम	जिसकी कटौती की गयी है का जीएस टीआईएन	बीजक/दस्तावेज़ विवरण			टीडीएस के लिए दायी जिस की कटौती की गयी है को संदत्त रकम	स्रोत पर कटौती की गई कर की रकम		
		संख्या	दिनांक	मूल्य			संख्या	दिनांक	मूल्य		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(तीन) अनुदेशों में,-

(क)क्रम संख्या 2 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर निम्नलिखित अनुदेश रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"2. सारणी 3 में बीजक/दस्तावेजवार काटे गए कर का विवरण दर्ज किया गया है।"

(ख) क्रम संख्या 4 पर दिए गए अनुदेश के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"5. सारणी 3 के स्तंभ 5 और सारणी 4 के स्तंभ 6 और स्तंभ 11 में टीडीएस के लिए दायी रकम, बीजक में दर्शाई गई

		केंद्रीय कर, राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित कर रकम होगी ।"
प्ररूप जीएसटीआर-8 का संशोधन	38.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-8 में, - (एक) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 7 में, अक्षर, शब्द और अंक "जीएसटीआर-1" के स्थान पर अक्षर, शब्द और अंक "(जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-1क)" रख दिए जाएंगे; (दो) प्ररूप जीएसटीआर-8 में अधिसूचित किये जाने के दिनांक से, (क) क्रम संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:- 3. ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई प्रदाय के ब्यौरे (सभी सारणियों के लिए रकम रु. में)

प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सम्बन्धित टीसीए से की गयी प्रदाय के ब्यौरे			स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम			प्रदाय का स्थान (पीओएस)
	प्रदाय की गयी का सकल मूल्य	प्रदाय वापसी का मूल्य	टीसीएस के लिए दायी निवल रकम	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ/ राज्य क्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8
3क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय							
3ख . अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से की गई प्रदाय							

(ख) क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"4. किसी पूर्वतर विवरण की बाबत प्रदाय के ब्यौरे का संशोधन

आरम्भिक ब्यौरे	पुनरीक्षित ब्यौरे

		मास	प्रदायकर्ता का जीएसटीएन	प्रदायकर्ता का जीएसटीएन	आकृषित टीसीएस से की गयी प्रदाय के ब्यौरे			स्रोत पर संग्रहीत कर की रकम			प्रदाय का स्थान (पीओएस)
					की गई प्रदाय का सकल मूल्य	प्रदाय वापसी का मूल्य	टीसीएस के लिए दायी निवल रकम	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ/ राज्यक्षेत्र कर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय									
		4ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय									
											".
											";
प्ररूप जीएसटीआर-9 का संशोधन	39.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-9 में, (क) सारणी में, - (एक) भाग दो में,- (क) क्रम सं 4 .में, (एक) क्रम संख्या छ से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याक और उससे संबंधित प्रविष्टि रख दी जाएगी:, अर्थात:-									

			"छ1	धारा 9(5) के अनुसार वे प्रदाय, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालक से कर संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]						"

क्रम संख्या ज के समक्ष, - अक्षर और शब्द "उप-योग (ऊपर क से छ)", के स्थान पर, शब्द, अंक और अक्षर "उप-योग (ऊपर क से छ1)" रख दिए जाएंगे ";

(ख) क्रम संख्या 5 में,

(I) क्रम संख्या ग से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्: -

"

ग1	आपूर्तियां, जिन पर धारा 9(5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]					

(II) क्रम संख्या ढ के सामने, "कुल आवर्त (अग्रिमों सहित) (ऊपर 4ढ + 5ड – 4छ)" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "कुल

आवर्त (अग्रिमों सहित) (ऊपर 4ढ + 5ङ– 4छ– 4छ1)" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।";

(ख) अनुदेश शीर्षक के अधीन, -

(i) पैरा 4 में, -

शब्द, अक्षर और अंक या वित्त वर्ष 2022-23" के पश्चात्, शब्द, अक्षर और अंक "या वित्त वर्ष 2023-24" बढ़ा दिये जायेंगे;

सारणी में–

(I) शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर -1" के पश्चात्, जहां कहीं वे होते हैं, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर- 1क" द्वारा यथासंशोधित, यदि कोई हो बढ़ा दिये जायेंगे;

(II) क्रम संख्या 4छ से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्- :

4छ1	सभी प्रदायों के सकल मूल्य (संशोधनों का कुल योग), जिन पर धारा 9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा रिपोर्ट किया जाना है। प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 15 और 15ए इन ब्यौरों को भरने के लिए निर्दिष्ट की जा सकेगी ।

(III) क्रम संख्या 5ग से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्- :

5ग1	ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से प्रदायकर्ताओं द्वारा किये गये प्रदायों के सकल मूल्य (संशोधनों का कुल योग), जिन पर धारा9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाना है ।प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 14(ख) और 14क(ख) इन ब्यौरों को भरने के लिए

			निर्दिष्ट की जा सकेगी ।

(IV) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत में बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :–

'वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति गैर-जीएसटी प्रदाय (5च) को पृथक् रूप से रिपोर्ट करेगा और उसके पास या तो अपने प्रदायों को छूट प्राप्त और शून्य दर प्रदाय के रूप में रिपोर्ट करने या "छूट प्राप्त" पंक्ति में केवल इन दो शीर्षों के लिए समेकित जानकारी रिपोर्ट करने का विकल्प होगा ।';

(V) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5ज, 5झ, 5ञ और 5ट के सामने, अंक और शब्द "2021-22 और 2022-23" के स्थान पर, अंक और शब्द "2021-22, 2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे;

(V I) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5ढ के सामने, अंक और शब्द "प्रत्यागम भार आधार पर" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "और आपूर्तियां, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालकों से धारा9(5) के अधीन करों का संदाय करना अपेक्षित है" बढ़ा दिये जाएंगे";

(ii) पैरा 5 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,-

(क) क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6ङ के सामने, शब्द और अंक "वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" के स्थान पर, शब्द और अंक "वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22,

		2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे ; (ख) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने, अंक और शब्द "2021-22 और 2022-23" के स्थान पर, अंक और शब्द "2021-22, 2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे; (ग) क्रम सं. 8क के समक्ष, - (I) शब्द "एसईजेड से प्राप्त" के पश्चात्, शब्द "और ई-वाणिज्य प्रचालकों से प्राप्त प्रदाय" बढ़ा दिये जाए; (II) शब्द "संबंधित प्रदायकर्ताओं" के पश्चात्, शब्द "ई-वाणिज्य प्रचालकों सहित" बढ़ा दिये जाएंगे; और (III) अंत में निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ी दी जाएगी, अर्थात् :- "तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 के पश्चात्, उस वित्तीय वर्ष से संबंधित आवक प्रदाय (आयात और आवक प्रदाय से पृथक्, जो प्रत्यागम भार के लिए दायी है, किंतु एसईजेड से प्राप्त सेवाओं को सम्मिलित करता है) के लिए उपलब्ध कुल क्रेडिट, जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है और प्ररूप जीएसटीआर-2ख की सारणी 3(झ) में दर्शाया गया है, इस सारणी में ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा ।" (iii) पैरा 7में,- (क) शब्द और अंक "30 नवंबर, 2023 तक फाइल" के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

		"वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, भाग V में पिछले वित्तीय वर्ष के लेन देन के विवरण सम्मिलित हैं, किंतु अप्रैल, 2024 से अक्तूबर, 2024 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदाय किया गया है, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया है ।"; (ख) सारणी में, स्तंभ 2 में,- (I) क्रम संख्या 10 और 11 के समक्ष, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत में बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् : - "वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के रिटर्न में पहले से घोषित किसी भी प्रदाय में परिवर्धन या संशोधन का ब्यौरा, किंतु इस प्रकार के संशोधन अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 तक फाइल प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे ।"; (II) क्रम सं. 12 के समक्ष,- i. शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "30 नवंबर, 2023 तक यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) का उपयोग किया जा सकेगा", के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा :- "वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया था,

		किंतु अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 के मासों के लिए फाइल रिटर्न में प्रत्यागम किया गया था, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा । ii. अंक और शब्द "2021-22 और 2022-23" के स्थान पर, अंक और शब्द "2021-22, 2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे ; (ग) क्रम संख्या 13 के समक्ष, - (I) अंक और शब्द "वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः दावा किया गया, ऐसे आईटीसी पुनः दावा का ब्यौरा वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक रिटर्न में प्रस्तुत किया जाएगा" के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :- "वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए आईटीसी का ब्यौरा किंतु इसके लिए आईटीसी अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 के मासों के लिए फाइल रिटर्न में 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(क) का उपयोग किया जा सकता है । तथापि, कोई भी आईटीसी जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार प्रत्यागम किया गया था, किंतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः प्राप्त किया

		गया था, ऐसे आईटीसी के ब्यौरें वितीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक रिटर्न में प्रस्तुत किए जाएंगे । (ii) अंक और शब्द "2021-22 और 2022-23" के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे ; (iv) पैरा 8में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,- (क) क्रम संख्या के समक्ष (I) 15क, 15ख, 15गऔर 15घ, (II) 15ङ, 15चऔर 15छ, (III)16क, (IV)16ख ; और (V) 16ग; के सामने अंक और शब्द " 2021-22 और 2022-23" जहां कहीं वे आते हैं, अंक और शब्द "2021-22, 2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे ।"; (ख) क्रम सं. 17 और 18 के समक्ष, (I) अंक और शब्द "2021-22 और 2022-23" के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक, शब्द और अक्षर रख दिये जाएंगे ।"; (II) अंक, शब्द और अक्षर "प्ररूप जीएसटीआर-1" के पश्चात्, अंक, शब्द और अक्षर "प्ररूप जीएसटीआर -1क द्वारा यथा संशोधित, यदि कोई हो" बढ़ा दिये जाएंगे ।
प्ररूप जीएसटीआर-9ग का संशोधन	40	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग में,- (i) अनुदेश शीर्षक के अधीन,- (क) पैरा4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, शब्दों और अंकों के स्थान पर,-

i. अंक और शब्द "2021-22 और 2022-23", जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "2021-22, 2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे, और

ii. अंक और शब्द "2020-21 और 2021-22", जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर अंक और शब्द "2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 14 के सामने, अंक और शब्द "2021-22 और 2022-23" के स्थान पर, अंक और शब्द "2021-22, 2022-23 और 2023-24" रख दिए जाएंगे ।

प्ररूप आरएफडी-01 का संशोधन	41.	उक्त नियमावली में, प्ररूप आरएफडी-01 में,–

अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 10 में, अक्षर, अंक और शब्द "जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2" के स्थान पर, अक्षर, अंक और शब्द "जीएसटीआर-1क द्वारा यथा संशोधित, यदि कोई हो" रख दिए जाएंगे ;

कथन-8 के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"विवरण9*क* [*नियम* 89(2)(*खख*)]

प्रतिदाय प्रकार : निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में उर्ध्वाधर पुनरीक्षण पर अतिरिक्त एकीकृत कर का संदाय

निर्यात बीजक			शिपिंग बिल			निर्यात प्रेषण विवरण			प्रतिदाय विवरण		निर्यात मूल्य वृद्धि के पश्चात्								
											पूरक बीजक/नामे नोट औरआईजीएसटी संदाय विवरण						अतिरिक्त निर्यात प्रेषण विवरण		
सं.	तारीख	बीजक का कुल मूल्य	निर्यात कोड पत्तन	सं.	तारीख	बीआरसी/एफआईआरसी सं.	तारीख	प्रेषण रकम	रकम	मंजूरी की तारीख	सं.	तारीख	पूरक बीजक का कुल मू	प्ररूप जीएसटीआर-3बी रिटर्न	कुल अतिरिक्त आईजीएसटी का सं	आईजीएसटी राशि पर ब्याज का संदाय	बीआरसी/एफआईआरसी सं.	तारीख	अतिरिक्त प्रेषण रकम

													त्य	अवधि में संदाय किया गया	दाय				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

कथन 9ख[नियम 89(2)(खग)]

प्रतिदाय प्रकार: माल के निर्यात के लिए जारी किए गए नामे/प्रत्यय नोट/ अनुपूरक बीजक के ब्यौरे

क्र. सं.	दस्तावेज का प्रकार (नामे नोट/प्रत्यय नोट/अनुपूरक बीजक)	नामे नोट/प्रत्यय नोट/अनुपूरक बीजक	दस्तावेज की तारीख	मास केलिए जीएसटीआर-1 मेंघोषित दस्तावेज	मास केलिए जीएसटीआर-3ख मेंघोषित दस्तावेजकेसंबंधमेंदावा किया गया संदत्त कर दायित्व/आईटीसी	बीआरसी/ विदेशीआवकविप्रेषणप्रमाणपत्रसं.	बीआरसी/ विदेशीआवकविप्रेषण प्रमाणपत्र की तारीख	क्या नियम96 (हां/नहीं) केअधीन पोत परिवहन पत्र केलिए प्रतिदाय कादावा किया गया है	ऐसे पोत परिवहनपत्र सं.के ब्यौरे	ऐसे पोत परिवहनपत्र कीतारीख	निर्यात कोड के पत्तन

		(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) "
प्ररूप जी.एस.टी. आरएफडी-10क का बढ़ाया जाना	42.	उक्त नियमावली में, प्ररूप आरएफडी-10 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप जीएसटीआरएफडी-10क

(नियम 95ख देखें)

कैंटीन भंडार विभाग(सीएसडी) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन :

2. नाम :

3. पता :

4. कर अवधि (तिमाही) : से <दिदि/मामा/वव >तक < दिदि/मामा/वव >

5. प्रतिदाय दावा की रकम :< आईएनआर><शब्दों में >

6. प्राप्त माल की आवक आपूर्ति के ब्यौरे:

आपूर्तिकर्ताकाजीएसटीआईएन	दस्तावेज़काप्रकार	बीजक ब्यौरे/नामे नोट/प्रत्यय नोट			द	कराधेय मूल्य	कर की रकम		
	बीजक/नामे नोट /प्रत्यय नोट	सं	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. कुलप्रतिदाय केलिएआवेदनकियागया:

केन्द्रीय कर	राज्य/संघराज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	कुल
< कुल>	< कुल>	< कुल>	< कुल>

8. बैंक खाते के ब्यौरे:

क. बैंक खाता संख्यांक

ख. बैंक खाता प्रकार

		ग. बैंक का नाम घ. खाता धारक का नाम ड. बैंक शाखा का पता च. आईएफएससी छ. एमआईसीआर 9. प्रतिदाय आवेदन के साथ दस्तावेजों के संलग्नक: 10. सत्यापन मैं--------<<कैंटीन स्टोर विभाग का नाम>> के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि समस्त माल, जिनके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, हमें सीएसडी की यूनिट रन कैंटीन या सीएसडी के प्राधिकृत ग्राहकों को ऐसे माल की पश्चातवर्ती प्रदाय के प्रयोजन के लिए प्राप्त हुए हैं और किसी भी बीजक के विरूद्ध पहले कोई प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है जिसके विरूद्ध इस आवेदन में प्रतिदाय का दावा किया गया है. तारीख : प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर स्थान : नाम: पदनाम/प्रास्थिति"
प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 का संशोधन	43.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्: - "[नियम 108(3), 109(2), 110(1) और 111(1) देखें]"।
प्ररूप जीएसटी एपीएल-05/07ब का बढ़ाया जाना	44.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - "प्ररूप जीएसटी एपीएल-05/07 ब *[नियम 113क देखें]* अपील अधिकरण के समक्ष फाईल अपील/आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन 1. जीएसटीआईएन:

		2. कारबार का नाम (विधिक) (यदि धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल की जाती है) 3. आवेदक का नाम और पदनाम (यदि अपील धारा 112 उपधारा (3) के अधीन फाईल की जाती है): 4. आदेश संख्यांक एवं तारीख: 5. अपील का एआरएन एवं तारीख : 6. वापस लेने का कारण: प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की स्वीकृति. समान विषय वस्तु पर अपील अधिकरण/न्यायालय के आदेश की स्वीकृति अपील/आवेदन में भूल/चूक को सुधारने के पश्चात फिर से अपील/आवेदन फाइल करने की आवश्यकता है अपील में अन्तर्वलित रकम धारा 112 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील के लिए नियत मौद्रिक सीमा से कम है आवेदन में अन्तर्वलित रकम धारा 120 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार आवेदन के लिए नियत मौद्रिक सीमा से कम है कोई अन्य कारण 7. घोषणा (धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल किए जाने की दशा में लागू): मैं/हम <करदाता का नाम > सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं और घोषणा करते हैं कि यहां दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है। स्थान: हस्ताक्षर तारीख : आवेदक का नाम/आवेदक अधिकारी पदनाम/प्रास्थिति"।
प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क का संशोधन	45.	उक्त नियमावली में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्:- "प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क धारा 73(5)/74(5) के अधीन संदेय की जाने वाली अभिनिश्चित कर की सूचना

[नियम 142 (1क), (2क) देखें]

भाग क

सं.: तारीख :

मामला आईडी सं.

सेवा में

जीएसटीआईएन .....

नाम .....

पता .....

मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन दायित्व की सूचना

कृपया उपर्युक्त कार्यवाही देखें। इस संबंध में, धारा 73 (5)/ 74 (5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर/ब्याज/शास्ति की रकम उक्त मामले के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिनिश्चित की गई है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

अधिनियम	अवधि	कर	ब्याज	शास्ति	कुल
सीजीएसटीअधिनियम					
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					
कुल					

आधार और परिमाणीकरण संलग्न है /नीचे दिए गए हैं :

आपको सूचित किया जाता है कि आप ..... द्वारा लागू ब्याज की रकम के साथ उपर्युक्त अभिनिश्चित की गई कर की रकम का संदाय करें, जिसके न हो सकने पर धारा 73(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा |

या

आपको सूचित किया जाता है कि आप ..... द्वारा धारा 74(5) के अधीन लागू ब्याज और शास्ति की रकम के साथ उपर्युक्त अभिनिश्चित की गई कर की रकम का संदाय करें, जिसके न हो सकने पर धारा 74(1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा |

यदि आप उपर्युक्त अभिनिश्चय के विरूद्ध कोई निवेदन फाईल करना चाहते हैं, तो इसे इस प्ररूप के भाग ख में.....प्रस्तुत किया जा सकता है|

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

अधिकारिता ----------

पता ----------

संलग्नक अपलोड करें

<u>भाग ख</u>

कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले संदाय के लिए संसूचना का उत्तर दें

[नियम 142 (2क) देखें]

सूचना की संदर्भ सं. :

तारीख :

कृपया सूचना आईडी देखें..... मामला आईडी..... के संबंध में जिसको धारा 73(5)/74(5) के अधीन अभिनिश्चित संदेय कर की दायित्व को सूचित किया गया था.

इस संबंध में,

क. यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व का निर्वहन आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से.....रुपये की सीमा तक किया जाता है ..... के माध्यम से और शेष दायित्व के सम्बन्ध में निवेदन संलग्न हैं/नीचे दिया गया हैं:

या

ख. उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन संलग्न है/नीचे दिया गया हैं:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम / प्रास्थिति .....

संलग्नक अपलोड करें

भाग ग

[नियम 142(2क) देखें]

सूचना की संदर्भ सं. तारीख :

सेवा में

जीएसटीआईएन .....

नाम .....

पता .....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क में दी गई संसूचना के उत्तर में निवेदन और/या किए गए संदाय की स्वीकृति

यह संदर्भ सं. ----------तारीख -------द्वारा जारी प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किए गए संदाय संदर्भ सं. ------- तारीख ---------प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क द्वारा जारी संसूचना के संदर्भ में है । आपके द्वारा किया गया उक्त संदाय संतोषप्रद पाया गया है और इसलिए स्वीकार कर लिया गया है।

या

यह संदर्भ सं------तारीख ------- को निर्दिष्ट करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किए गए संदाय के साथ संदर्भ सं. ---------- तारीख ---------- प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क द्वारा जारी

		संसूचना के उत्तर संदर्भ सं. ----------तारीख ---------- द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ है। उक्त निवेदन और संदाय संतोषप्रद पाया गया है और इसलिए स्वीकार कर लिया गया है। या यह संदर्भ सं ----------तारीख -------द्वारा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क में जारी संसूचना के उत्तर संदर्भ सं. ----------तारीख ---------- द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ में है। उक्त उत्तर संतोषप्रद पाया गया है और इसलिए स्वीकार कर लिया गया है। हस्ताक्षर..... नाम ..... पदनाम ..... अधिकारिता..... पता ..... संलग्नक अपलोड करें ";
प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 ख का संशोधन	46.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 ख में, – (i) भाग क में, क्रम संख्यांक 1 में, – (क) शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1 में आपके द्वारा प्रस्तुत", के पश्चात शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथासंशोधित, यदि कोई हो", बढ़ा दिये जाएंगे ; (ख) सारणी में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-1क/आईएफएफ" रख दिए जाएंगे; (ii) भाग ख में, क्रम संख्यांक ख में, सारणी में, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ" जहां भी वे होते हैं, के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-1/जीएसटीआर -

<table>
<tr><td></td><td></td><td>1क/आईएफएफ" रख दिए जाएंगे;</td></tr>
<tr><td>प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का संशोधन</td><td>47.</td><td>उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में;-
(i) सारणी में,
(क) क्रम संख्यांक (3) पर प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्;-
<table><tr><td>"3क</td><td>पोत परिवहन पत्र गलत आईजीएसटी प्रतिदाय के ब्यौरे (केवल तभी समर्थित किया जाना चाहिए जब ड्रॉप डाउन मेनू में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग चुने गए हों)</td><td>(i) (ख) पोत परिवहनपत्र/निर्यात पत्र सं. एवं तारीख:
(ii) माल के निर्यात पर संदत्त किए गए आईजीएसटी की रकम :
(iii) अधिसूचना सं. रियायती दर या छूट पर इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है (नियम 96 के उपनियम 10 के उल्लंघन के मामलों में):
(iv) अधिसूचना की तारीख:
(v) प्राप्त प्रतिदाय की रकम :
(vi) गलत प्रतिदाय की रकम जमा करनी होगी :
(vii)बैंक खाते में प्रतिदाय प्रत्यय करने की तारीख :";</td></tr></table>(ख) क्रम संख्यांक (5) पर प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् -:</td></tr>
</table>

		"5.	के ब्यौरे i. संपरीक्षा ii. निरीक्षण या अन्वेषण iii. एससीएन जारी करने के पश्चात / विवरण किन्तु आदेश जारी करने से पूर्व iv. संवीक्षा, v. प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के माध्यम से अभिनिश्चित कर की सूचना, vi. प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 ख के उत्तर में किया गया संदाय, vii. प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 ग के उत्तर में किया गया संदाय, viii. अप्रयुक्त आईटीसी के गलत प्रतिदाय की जमा, ix. नियम 96ख के अधीन माल के निर्यात पर अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के संबंध में विदेशी विप्रेषण की गैर-प्राप्ति x. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	संदर्भसं. / एआरएन	जारी करने /फाईल करने की तारीख "।
प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क का बढ़ाया जाना	48.	उक्त नियमावली में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - "प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क *[नियम 142(2ख)देखें]* मांग के आदेश के विरूद्ध प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से संदत्त की गई रकम के समायोजन के लिए आवेदन			

1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	<ऑटो>
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<ऑटो>
4.	डीआरसी-03क का एआरएन	<ऑटो>
5.	डीआरसी -03क फाईल करने की तारीख	<ऑटो>

6.	डीआरसी -03 का एआरएन जिसके माध्यम से संदाय किया गया	
7.	डीआरसी -03 फाईल करने की तारीख	< ऑटो>
8.	डीआरसी -03 के माध्यम से संदत्त रकम	<ऑटो>

(रकम रु.में)

क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान	कर / उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
कुल	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

9.	मांग के ऑर्डर की निर्देश संख्या जिसके लिए संदाय करना आशयित था (जिसके अंतर्गत सुधार/ अपील आदेश भी है)	
10.	आदेश जारी करने की तारीख	<स्वतः>
11.	मांग की रकम	<स्वतः>

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान	कर / उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	
कुल	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	

	<u>वचनबंध</u>
12.	मैं वचनबंध हूं कि उपर्युक्त क्रम सं. 6 पर उल्लिखित अनन्य एआरएन सं. के साथ प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 द्वारा किया गया संदाय वास्तविक रूप से मेरे द्वारा 'मांग के प्रति संदाय' के रूप में संदत्त किया गया था जो कि मांग के लिए संदत्त करना आशयित था (ऊपर क्रम सं. 9 पर उल्लिखित यथास्थिति प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07, जीएसटी डीआरसी-08 या प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 के अनन्य एआरएन सं. सहित) तथा मेरे द्वारा किसी अन्य मांग या संदाय के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया है। मैं ये भी वचनबंध करता हूं कि इस प्ररूप के उपयोग से समायोजित रकम, लागू ब्याज के साथ सरकार को वापिस संदेय करूंगा, यदि तत्पश्चात ऊपर घोषित ब्योरे में से कुछ भी गलत पाया जाता है। मैं केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 (1) (x) के अधीन दांडिक कार्यवाही के लिए दायी होऊंगा।
13.	सत्यापन- मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुरूप सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम पदनाम / प्रास्थिति"।

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 का संशोधन	49.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:- "प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 [नियम 142(2) तथा 142(3) देखें]

		निर्देश सं.: तारीख........ सेवा में ....जीएसटीआईएन/आईडी ....नाम ....पता कर अवधि......... वित्तीय वर्ष........ एआरएन- तारीख- स्वेच्छा से किए गए संदाय की अभिस्वीकृति। ऊपर निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की संदत्त रकम तक अभिस्वीकृति की जाती है। यह प्रणाली जनित अभिस्वीकृति है तथा हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।"।

आज्ञा से,

Signed by
(एम. देवराज)
M Devaraj
प्रमुख सचिव।
Date: 26-10-2024 11:26:18